submitted with Moderator

75

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

Zone 'O'

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Vedram Kasana
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	RWA संयुक्त जन विकास कल्याण समिती मीठापुर विस्तार A-ब्लाक
वर्तमान स्थिति Present Position	O-Zone Residents
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9350081629 OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2 Dy.No......3686...... Dated......30/5/12......
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	A-11/183, Main Sindhu farm Road Meethapur Extn. Badarpur ND-44
हस्ताक्षर : Signature :	[signature] 29/5/12
तिथि : Date :	29/5/12

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

|| सत्य मेव जयते ||

फोन : 9350081629
9711111774

संयुक्त जन विकास कल्याण समिति रजि०

समस्त मीठापुर क्षेत्र

कार्यालय : A-11/183, मैंन सिन्धु फार्म रोड़, मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

(75)

पत्रांक 1030

दिनांक 29-5-2012

श्री तपन मंडल
डाइरेक्टर (पी एल जी), डी डी ए जोन .
तीसरी मंजिल विकास मीनार नई दिल्ली

विषय : मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मीठापुर छेत्र को गलत तरीके से ओ जोन में दर्शाने के सन्दर्भ में ।

इस पत्र के द्वारा आपसे विनती करना चाहता हूँ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मीठापुर छेत्र को ओ जोन में दर्शाया गया है, जो की सरासर गलत है । मीठापुर छेत्र यमुना नदी से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है व इस छेत्र की सभी कालोनियां दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में दर्ज है इस छेत्र मे लाखों की आबादी है, व यह छेत्र यमुना फ्रंट पर नहीं आता। मीठापुर छेत्र के पीछे हरियाणा के सेहतपुर , इस्माईलपुर , बसंतपुर व अगवानपुर गाँव हैं व कुछ कालोनियां व अधिक्रत सैक्टर 91 हुड्डा / ऍम सी ऍफ़ जो की हरियाणा सरकार की तरफ से अधिकृत सूर्य नगर के नाम से है. तथा इसके बाद भी कुछ कालोनियां और बसी हुई हैं तब कहीं जाकर यमुना नदी बहती है इसलिए मीठापुर छेत्र को ओ जोन के दायरे में लाया जाना तर्कसंगत नहीं होगा, जबकि दिल्ली में कई जगह जो 1 किलोमीटर के दायरे में है, उनको भी आपने ओ-जोन से बाहर रखा है। यमुना नदी व मीठापुर छेत्र के बीच में हरियाणा की यह तमाम आबादी लगभग 6-7 किलोमीटर के चौड़ाई में बसी हुई है।

अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है की आप कृपया मीठापुर छेत्र को ओ जोन से निकलकर हमारे साथ लगते एफ जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

For Sanyukt Jan Vikas Kalyan Samiti
Reg. No.-S-3[illegible]

आपका अपना

President

(वेदराम कसाना)

चेयरमैन मीठापुर छेत्र